

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 70/2017

बउनवान

हरनारायण पुत्र श्री सीताराम जाति-माली निवासी मण्डोला तहसील-बारां, जिला-बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री सिमरनजीत सिंह, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 31.03.2021

1- अपीलांट ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-मण्डोला, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती, बेदखली, 110/- रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश भी नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2015 निरस्त किया जाना न्यायहित में होगा क्योंकि अपीलांट ने तावान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

2- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्गे सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर, प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।



3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है, एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट ने बताये गये सम्पूर्ण अतिक्रमण से

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में भूमि खाली पड़ी हुयी है। इस संबंध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.04.17 पेश की गयी। साथ ही कथन किया कि अपीलांत भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि बकाया नहीं है। अतः न्यायहित में अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 768/12 निर्णय दिनांक 12.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु प्रकरण में हल्का पटवारी की रिपोर्ट पेश हुयी है तथा बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांत का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति सहानुभूति व नरमी का रुख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1101/15 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 06.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र विजय)
जिला कलेक्टर,
बारां (राज०)